संख्या: 59/2017/3217/12-2-2017-60(6)/2017 टी0सी0-5

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2017

विषय: प्रदेश के अर्ह लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत जनपद में लंबित समस्त डाटा को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश के अर्ह लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत पहले चरण के लाभार्थियों के खाते में धनराशि का स्थानान्तरण कर दिया गया है। फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा का जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन कर योजना में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पात्र कृषकों को धनराशि अन्तरित किए जाने के विषयगत कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जानी है। समस्त आधारयुक्त डाटा का शत-प्रतिशत सत्यापन जनपद स्तर पर प्रथम चरण में सुनिश्चित हो, इसी के दृष्टिगत प्रथम चरण में कार्यवाही पूर्ण कर लेने हेतु निर्धारित समय-सीमा 12 अगस्त, 2017 से बढाकर 21 अगस्त, 2017 तक का समय दिया गया था, परन्तु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी अधिकांश जनपदों में अपेक्षानुरूप उपलब्ध कराये गये डाटा का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया गया एवं बडी संख्या में डाटा को सत्यापन हेतु लंबित रखा गया है।

2. इस सम्बन्ध में संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा अर्ह किसानों की सूची का अनुमोदन करने में पर्याप्त रूचि नहीं ली गयी। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा विभिन्न तिथियों में जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों एवं बैंकों इत्यादि के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर विस्तृत निर्देश भी दिये गये थे।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में उपलब्ध कराये गये समस्त डाटा, जिसके विषय में प्रथम चरण में उनके द्वारा अर्हता/अनर्हता के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है एवं सत्यापन की कार्यवाही अवशेष है, उक्त समस्त लंबित डाटा का सर्वोच्च प्राथमिकता पर सतत रूप से सत्यापन/निर्णय लेने की कार्यवाही की जानी है। आधार से छूटे हुए डाटा की आधार फीडिंग का अभियान चलाकर बैंकों के माध्यम से आधार लिंक करवा लिया जाय। साथ ही साथ अभी तक राजस्व विभाग द्वारा कृषक के लघु एवं सीमान्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

होने के विषयगत सत्यापन की कार्यवाही यदि अवशेष है तो उपरोक्त कार्यवाही भी समयबद्ध रूप से आगामी एक सप्ताह की अवधि में जनपद में लंबित समस्त डाटा के विषयगत पूर्ण करने का प्रयास किया जाय।

कृपया तदनुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या: 59/2017/3217(1)/12-2-2017 तददिनांक।

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।